न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या– 07/2009–10 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

श्री जाकिर हुसैन –बनाम– श्रीमती अकीला आदि

कोरम :

1. **श्री सुनील कुमार मुट्टू, आई०ए०एस० अध्यक्ष।**
2. **श्री पी०एस० जंगपांगी, आई०ए०एस० सदस्य(न्यायिक)।**

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी की ओर से : श्री रमेश दत्त उनियाल।
उत्तरदाता की ओर से : श्री अरूण सक्सेना।

बावत

खसरा नं0 2065/1 रकबा 0.376 है0,
2076/1 रकबा 0.781 है0 कुल रकबा 1.157 है0
स्थित मौजा ईस्ट होप टाउन परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

<u>आदेश</u>

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र श्री जाकिर हुसैन पुत्र मौहम्मद शफी उपरोक्त द्वारा निगरानी संख्या 94/2005–2006 जाकिर हुसैन बनाम श्रीमती अकीला आदि में विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के निर्णय/आदेश दिनांक 24.02.2010 के सापेक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा नियम–26(1) उ0प्र0 भू–राजस्व (सर्वे/अभिलेख प्रकियायें) नियमावली 1978 के अन्तर्गत सर्वेक्षण आकार पत्र–6 (भाग–2) की व्यवस्था के अनुसार विपक्षी/उत्तरदात्री के नाम प्रार्थी/निगरानीकर्ता के पक्ष में उत्तराधिकार के आधार पर हुये नामान्तरण को निरस्त कर बिना उसे सूचना दिये किया गया ; कि सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा की गयी प्रश्नगत नामान्तरण की कार्यवाही के विरूद्ध सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 27(3) प्रस्तुत की गयी जिसमें पारित आदेश धारा–219 भूराजस्व अधिनियम के प्राविधानों के अध्याधीन अन्तिम है ; यह कि सहायक अभिलेख अधिकारी के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28–6–2005 के विरूद्ध अपील ग्राह्य न होने के उपरान्त भी अभिलेख अधिकारी/कलक्टर, देहरादून के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 28–06–2005 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार विकासनगर को प्रतिप्रेषित किये जाने संबंध आदेश दिनांक 02–08–2006 बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया ; कि सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है एवं प्रथम अपीलीय आदेश अन्तिम है ; कि विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 24–02–2010 में यह मत प्रकट करने के उपरान्त भी कि सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत गांव ईस्ट होप टाउन का नियम–24 के अनुसार पर्ची

वितरण किये बिना नियम 25 व 26 की प्रक्रिया पूर्ण किये बिना सहायक अभिलेख अधिकारी को नियम–27 के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, आक्षेपित आदेश में किसी त्रुटि के न होने को अवधारित करना विधि–विरूद्ध है ; धारा 34 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उत्तराधिकार प्राप्त करने अथवा अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट देने एवं संगत प्राविधानों के पालन से ही की जा सकती है। तदनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 24.02.2010 एवं 02.08.2006 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

विपक्षीगण की ओर से पुनर्विचार प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण पोषणीय न होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

राजस्व परिषद के आदेश संख्या 7022/राज0परि0–2013 दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के अधीन इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के निस्तारणार्थ खण्डपीठ गठित की गयी।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया।

उभयपक्ष को यह स्वीकार है कि प्रश्नगत गांव में अभिलेख प्रक्रिया प्रचलित है एवं धारा–54(2) भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 24 (1) व (2) भू–राजस्व (सर्वे/अभिलेख प्रक्रियायें) नियमावली, 1978 के अधीन खतौनी पर्ची एवं नोटिस जारी नहीं किये गये हैं। स्पष्ट है कि सर्वे नायब तहसीलदार एवं सहायक अभिलेख अधिकारी को खतौनी पर्ची एवं नोटिस जारी न होने के दृष्टिगत धारा–54 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था तदनुसार उक्त खतौनी पर्ची/नोटिस के अभाव में धारा–54 एवं संगत नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां शून्य एवं निष्प्रभावी (Null and Void) हैं। तदनुसार विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त एवं अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा अंकित एतत्संबंधी मन्तव्य विधि सम्मत हैं। इस स्थिति से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण सहमत भी हैं। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को इस स्तर पर एक मात्र आपत्ति अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार विकासनगर को धारा–34 के अन्तर्गत निस्तारणार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने के संबंध में है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि राजस्व प्राधिकारियों के संज्ञान में उत्तराधिकार संबंधी विवाद आ गया है तो ऐसे विवाद का विधिसम्मत निस्तारण किया जाना उनके कर्तव्यों की परिधि में आता है। विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि उन्हें इस संबंध में संज्ञानित कराया जा चुका हो। इस प्रकरण में विपक्षी/उत्तरदात्री श्रीमती अकीला वसीयत के आधार पर मूल खातेदार की उत्तराधिकारिणी होने का कथन विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत कर चुकी है जो कि धारा 34(1) के प्रयोजन हेतु अपेक्षित सूचना (Report) माने जाने के लिये पर्याप्त है। निसन्देह नामान्तरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर ही किया जाना होगा। यह अवश्य है कि अभिलेख प्रक्रियाओं के अन्तर्गत अभिलेख अधिकारी स्तर तक न्यायालयों का श्रेणीक्रम (Hierarchy) भिन्न होने के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित न कर अन्तरित किया जाना चाहिये था।

यदि खतौनी पर्ची एवं नोटिस धारा–54(2) सपठित नियम 24 (1) व (2) नियमानुसार निर्गत होने के पश्चात कार्यवाही की जाती हो निसन्देह सर्वे नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील का प्राविधान नहीं था परन्तु जैसा कि पूर्व में व्यक्त किया जा चुका है कि निर्धारित खतौनी पर्ची एवं नोटिस यथाविधि निर्गत नहीं किये गये अतः समूची कार्यवाही धारा–54के अन्तर्गत पोषणीय नहीं थी एवं शून्य व निष्प्रभावी थी तो ऐसे क्षेत्राधिकार से परे कार्यवाही का स्वतः संज्ञान ले करके भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अपास्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से अभिलेख अधिकारी, देहरादून के आक्षेपित आदेश को स्वसंज्ञान से पारित आदेश की श्रेणी में माना जा सकता है। विद्वान अभिलेख अधिकारी, देहरादून के स्तर पर द्वितीय अपील की अग्राह्यता के संबंध में प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने ऐसा

कोई कथन नहीं प्रस्तुत किया है अन्यथा एतत्संबंधी त्रुटि का निरस्तारण उसी स्तर पर हो जाता क्योंकि क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय अपील को निगरानी अथवा निगरानी को अपील में परिवर्तित करने के लिये सक्षम है। जहां तक 2005 (9) RD में दी गयी व्यवस्था का प्रश्न है इस संबंध में हमारा यह मत है कि एक बार अभिलेख प्रक्रिया के अन्तर्गत खतौनी पर्ची एवं नोटिस विधिवत् निर्गत हो जाय तो धारा–54 (6) के अन्तर्गत सहायक अभिलेख अधिकारी को स्वत्व के प्रश्न संबंधी विवादों को निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं स्वत्व के निर्धारण के लिये अन्तरण संबंधी विलेख यथा, विक्रयपत्र, वसीयत, दानपत्र, पारिवारिक समझौता आदि का संज्ञान लेना विधिसम्मत है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पूर्णता में पोषणीय नहीं हैं। मात्र यह उल्लेख करना उचित होगा कि अभिलेख अधिकारी/कलक्टर, देहरादून द्वारा उत्तराधिकार संबंधी प्रकरण तहसीलदार, विकासनगर को प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेशांश को कार्यवाही अन्तरण आदेश समझा जाय क्योंकि प्रकरण प्रतिप्रेषण का न होकर कार्यवाही अन्तरण का है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिप्रेषण आदेश को कार्यवाही अन्तरण आदेश माने जाने के प्रयोजन के लिये स्वीकार करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार विकासनगर, जिला देहरादून नामान्तरण की कार्यवाही सभी विधिक प्राविधानों/प्रक्रियाओं का पालन करते हुये समयबद्ध रूप से निस्तारित करना सुनिशिचित करें।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 30.01.2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।